न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –104/2020 (अपील)

हंसराज नागर आत्मज श्री सीताराम जी जाति धाकड निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी , कलेक्ट्रेट कोटा

–अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थन राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन आदेश 1976)

निर्णय

दिनांक– 19.02.2020

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश कमांक/रसद/एफपीएस/2019/490 दिनांक 06.11.2019 से अपीलांट हंसराज नागर उचित मूल्य दुकानदार, पोस कोड 6907 ग्राम पंचायत लटूरी, तहसील सांगोद कोटा को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.12.2019 को पेश कर कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट पंचायत समिति के वार्ड नम्बर 13 के पद पर वर्ष 2005 से 2010 तक रहा, जिसके आधार पर पूर्व में ही अपीलान्ट का लाइसेन्स निरस्त कर दिया जिसे बाद में दिनांक 30.8.2017 को बहाल कर दिया । उक्त तथ्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का लाईसेन्स निरस्त करने का आदेश दे दिया गया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि जयराम गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को प्रदान नहीं की गई और न ही उक्त रिपोर्ट परं अपीलान्ट को आपत्ति करने का अवसर प्रदान किया गया, इस प्रकार न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों का उल्लंघन कर आदेश प्रदान किया गया है जो त्रुटि पूर्ण है । अपीलान्ट द्वारा लाईसेन्स के नियमों की हमेशा से पालना की है । कभी कोई शिकायत अपीलान्ट के विरूद्व नहीं पाई गई है, अपीलान्ट द्वारा अपना कार्य सरकारी नियमों के अन्तर्गत पूर्ण किया है, किन्तु फिर भी बिना किसी आधार एवं तथ्य के लाइसेन्स निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है । अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का

Scanned by CamScanner

आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का लाईसेन्स बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । पेरोकार रसद व वकील अपीलांट उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट पंचायत समिति के वार्ड नम्बर 13 के पद पर वर्ष 2005 से 2010 तक रहा, जिसके आधार पर पूर्व में ही अपीलान्ट का लाइसेन्स निरस्त कर दिया जिसे बाद में दिनांक 30.8.2017 को बहाल कर दिया । उक्त तथ्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का लाईसेन्स निरस्त करने का आदेश दे दिया गया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि जयराम गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण है जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को प्रदान नहीं की गई और न ही उक्त रिपोर्ट पर अपीलान्ट को आपत्ति करने का अवसर प्रदान किया गया, इस प्रकार न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों का उल्लंघन कर आदेश प्रदान किया गया है जो त्रुटि पूर्ण है । अपीलान्ट द्वारा लाईसेन्स के नियमों की हमेशा से पालना की है । कभी कोई शिकायत अपीलान्ट के विरूद्व नहीं पाई गई है, अपीलान्ट द्वारा अपना कार्य सरकारी नियमों के अन्तर्गत पूर्ण किया है, किन्तु फिर भी बिना किसी आधार एवं तथ्य के लाइसेन्स निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है । अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का लाईसेन्स बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

5. पेरोकार रसद द्वारा अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि श्री हंसराज नागर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत लटूरी तह0 सांगोद को इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 19.12.2000 को प्राधिकार पत्र जारी किया गया था श्री हंसराज नागर जनप्रतिनिधि के पद पर चयन हो जाने के कारण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में दिनांक 3.6.2005 को हंसराज नागर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था, जिसका अंकन प्राधिकार पत्र के रजिस्टर में भी है श्री जयराम गुर्जर तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा दिनांक 1.8.2019 को प्रस्तुत अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि श्री हंसराज नागर को पंचायत समिति का सदस्य होने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था श्री जयराम गुर्जर, तत्कालीन प्रवर्तन निरक्षक के द्वारा दिनांक 1.8. 2019 को प्रस्तुत अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि विभागीय नियमानुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य नहीं किया जाता है । इस स्थिति में प्राधिकार पत्र निरस्त करने की अभिशंषा रिपोर्ट में की गई है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 6907ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा को इस आधार पर दिनांक 6.11.2019 को निरस्त किया गया था कि अपीलांट पूर्व कार्यकाल में पंचायत समिति सदस्य रह चुके है ।

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी से तलब की गई मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें जांच रिपोर्ट एवं पर्चा मौका दिनांक 1.8.2019 बताया गया है कि हंसराम नागर वर्ष 2000 में राशन डीलर बने थे, तथा आदेश दिनांक 6.11.2019 से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया । परिणामस्वरूप हम यह पाते है कि अपीलांट पूर्व में 2000 में जनप्रतिनिधि रहा है किन्तु वर्तमान में नहीं है, तथा वर्तमान में राशन डीलर का कार्य करना चाहता है । ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट की प्रार्थना व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होती है ।

7. **अतः** अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी कोटा को इस आदेश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि यदि अन्य नजदीकी उचित मूल्य दुकान खाली हो तो अपीलांट का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जाकर अपीलांट को दुकान का आवंटन किया जावें । **निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भेजी जावें ।**

8. निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner